

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2175
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक)

रोजगार सृजन की योजनाएँ

2175. श्री नीरज शेखर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में रोजगार सृजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान और आज की तिथि तक इन योजनाओं के लिए आवंटित और व्यय की गई धनराशि का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत सृजित रोजगारों की संख्या का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग) रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इनमें अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

भारत सरकार की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत आवंटित, उपयोग की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है;

(i) वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 (04.08.2025 तक) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी, सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	वितरित एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
वि.व. 2024-25	2,202.00	59,708	4,77,664
वि.व. 2025-26 (04.08.2025 तक)	928.73	29,479	2,35,832

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ii) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए महात्मा गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई धनराशि और सृजित मानव दिवसों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	सृजित मानव दिवस (आंकड़े करोड़ में)
2024-25	86,000	85,838.76	290.60
2025-26	86,000	45,783*	106.77 **

* दिनांक 23.07.2025 को ** दिनांक 21.07.2025 तक

(iii) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) के अंतर्गत, 30 जून, 2025 तक, यह मिशन 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 745 जिलों के 7145 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है।

(iv) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों, आवंटित और जारी की गई निधियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रशिक्षित अभ्यर्थी	नियोजित अभ्यर्थी	आवंटित निधि (लाख रुपये में)	जारी धनराशि (लाख रुपये में)
2024-25	100883	84946	50000.00	37498.80
2025-26 (जून, 2025 तक)	16666	4257	75000.00	127698

(v) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के अंतर्गत वर्षवार प्रशिक्षित एवं नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या, आवंटित एवं जारी धनराशि निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रशिक्षित अभ्यर्थी	नियोजित अभ्यर्थी	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)	जारी धनराशि (लाख रुपये में)
2024-25	621210	467259	25000.00	24840.62
2025-26 (जून, 2025 तक)	116809	63739	30000.00	0.00

(vi) वर्ष 2024-25 के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजित किए गए कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की कुल संख्या, व्यक्तिगत/सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या और जारी केंद्रीय निधि क्रमशः 5082, 66,646 और 29 करोड़ रुपये है। मिशन की अवधि 30.09.2024 को समाप्त हो गई है।

(vii) प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या, संवितरित ऋण और संवितरित राशि निम्नानुसार है

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या*	वितरित ऋणों की संख्या*	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)**
2024-24	4,06,111	11,24,896	2,414
2025-26	899	2160	3.9

* दिनांक 20.07.2025 तक ** दिनांक 09.07.2025 तक

(viii) देश में पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत वर्ष-वार ऋण खातों की संख्या, संस्वीकृत और संवितरित राशि निम्नानुसार है

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
2024-25	54,661,648	552,801.76	541,802.57
2025-26*	5,406,031	71,385.05	68,528.10

* जून, 2025 तक
